निर्णय व इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 88/2020 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

मैसर्स फुलर्टन इण्डिया केडिट कम्पनी लि॰ पंजीकृत कार्यालय थर्ड फ्लोर नम्बर 307, मेघ टावर, पी एच रोड, मधुरावोलय चैन्नई (तमिलनाडू) कार्पोरेट कार्यालय 5 व 6 वी विंग सुप्रीम बिजनेस पार्क, सुप्रीम सिटी, पोवई, मुम्बई एवं शाखा कार्यालय आफिस नम्बर 5 से 11 प्रथम फ्लोर, साउथ एण्ड नोर्थ विंग, सौरभ टावर, प्लाट नम्बर सी–2, गौत्म मार्ग, वैशाली नगर, जयपुर जरिये अधिकृत प्रतिनिधि श्री सिद्धार्थ सिंह ।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. कैलाश चन्द जयपुरिया

2. श्रीमती पुष्पा जयपुरिया

3. सिद्धार्थ जयपुरिया

4. अभिषेक जयपुरिया

समस्त निवासी बी–2/524, चित्रकूट स्कीम, वैशाली नगर, जयपुर ।

5. श्री बालाजी कृपा एज्यूकेशन प्रा॰ लि॰ जरिये निदेशक कैलाश चन्द जयपुरिया

पता–बी–2/524, चित्रकूट स्कीम, वैशाली नगर, जयपुर।

6. मैसर्स बालाजी एकेडमिक जरिये साझेदार अंकुर जयपुरिया

पता बी–2/524, चित्रकूट स्कीम, वैशाली नगर, जयपुर।

7. मैसर्स पेपर मोड ओवरसीज जरिये साझेदार कैलाश चन्द जयपुरिया

पता बी–2/524, चित्रकूट स्कीम, वैशाली नगर, जयपुर।

8. वैभव सिने मल्टी प्लेक्स प्रा॰ लि॰ जरिये निदेशक कैलाश चन्द जयपुरिया

पता बी–2/524, चित्रकूट स्कीम, वैशाली नगर, जयपुर।

9. मैसर्स सृष्टि लर्निंग एकेडमी जरिये साझेदार अभिषेक जयपुरिया

पता बी–2/524, चित्रकूट स्कीम, वैशाली नगर, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002

उपस्थित :–

1. श्री कृष्ण कुमार सिंह अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

2. श्री सुबोध कुमार शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01, 5, 7, एवं 8 की ओर से ।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

आदेश दिनांक: 25.08.2020

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 31.10.2017 को पुनभुर्गतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री कैलाश चन्द जयपुरिया के स्वामित्व की सम्पत्ति पार्ट ऑफ जयपुरिया कम्पाउण्ड जयपुरिया टैक्टाईल्स, ढेहर के बालाजी स्टेशन के पास, झोटवाडा जयपुर क्षेत्रफल 3282 वर्गगज को बन्धक कर राशि 4,83,79,552/–रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 24.07.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक उक्त सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थी श्री कैलाश चन्द जयपुरिया की ओर से अधिवक्ता श्री सुबोध कुमार शर्मा ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश कर ऋण राशि जमा कराने के लिए समय चाहा।

3. उभय पक्ष को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 05 अगस्त, 2016 से सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)

अप्रार्थी ऋणी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को सही होना स्वीकार करते हुये बकाया राशि जमा कराने के लिए अवसर दिये जाने का निवेदन किया है, परन्तु धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में बकाया ऋण राशि जमा कराने के लिए ऋणी को अवसर दिये जाने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणो को 4,83,79,552/–रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 5,03,07,871/–रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 24.07.2019 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

6. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्री कैलाश चन्द जयपुरिया के स्वामित्व की बन्धक सम्पत्ति पार्ट ऑफ जयपुरिया कम्पाउण्ड जयपुरिया टैक्टाईल्स, ढेहर के बालाजी स्टेशन के पास, झोटवाडा जयपुर क्षेत्रफल 3282 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

7. आदेश की प्रति पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) जयपुर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

8. आदेश आज दिनांक 25.08.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

25/8/2020

(अनुराग सिंह नेहरा)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर